कार्यालय नगर निगम जयपुर,हैरिटेज

(हैरिटेज मुख्यालय भवन बडी चौपड़ हवामहल के पीछे जयपुर–01)

क्रमांक : –एफ–19 ( ) उपा0उ0 / ननिज हैरिटेज / 2024 / 282 दिनांक : 01/03/2024

निविदा सूचना

नगर निगम जयपुर हैरिटेज के कार्यालय द्वारा अमृत परियोजना 2.0 के तहत अमृत मित्र योजना में किए जाने वाले कार्य हेतु DAY-NULM के तहत बने महिला स्वंय सहायता समूह से दिनांक 05.03.2024 तक रूचिकी अभिव्यक्ति आंमत्रित की जाती है।

क्रमांक	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	अमानता राशि	कार्यावधि
1	अमृत–2.0 में अमृत मित्र योजना के तहत् नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड 92 में शहिद भगत सिंह पार्क आर्दश नगर जयपुर में शेडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु	3.80	7600	9 माह
2	अमृत–2.0 में अमृत मित्र योजना के तहत् नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड 35 आर पी ए पार्क शस्त्री नगर जयपुर शेडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु	3.50	7000	9 माह
3	अमृत–2.0 में अमृत मित्र योजना के तहत् नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड 95 कल्पना चावला पार्क जवाहर नगर जयपुर शेडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु	3.50	7000	9 माह

1 अभिरूचि की निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम व शर्ते /पात्रता सम्बंधित दस्तावेज कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज कार्यालय से दिनांक 01.03.2024 से दिनाक 04.03.2024 को 05.00 बजे तक कार्यालय समय में व नगर निगम जयपुर हैरिटेज के DAY-NULM व उधान शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त निविदा की विस्तृत जानकारी jaipurmcheritage.org पर उपलब्ध है।अभिरूचि की निविदा निर्धारित प्रपत्र (Annexure-I&II) में स्वीकार की जायेगी।

2 निविदाकर्ता महिला स्वंय सहायता समूह को अपनी पात्रता से सम्बन्धित दस्तावेज अलग सील बंद लिफाफे में जिके ऊपर "अमृत योजना 2.0 में अमृत–मित्र के तहत कार्य का नाम नगर निगम जयपुर हेरिटेज वार्ड नं 92 में शहिद भगत सिंह पार्क आर्दश नगर जयपुर में शैडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य वार्ड 35 आर पी ए पार्क शस्त्री नगर जयपुर शेडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु वार्ड 95 कल्पना चावला पार्क जवाहर नगर जयपुर शेडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु अंकित हो तथा वितीय बिड अलग से सील बन्द लिफाफे मे, जिसके ऊपर "वितीय बिड" लिखा हो कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज में दिनाक 05.03.2024 को 03.00 बजे तक स्वंय द्वारा पहुँच जानी चाहिये। प्राप्त अभिरूची निविदा दिनांक 06. 03.2024 को 01.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं (स्वंय सहायता समूहों) या उनके प्रतिनिधियो के समक्ष समिति द्वारा नगर निगम जयपुर हैरिटेज में DAY-NULM के उपायुक्त के कार्यालय में खोली जाएगी।

3. निविदा हेतु अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिए आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज के नाम ा से जमा करानी होगी

4 केवल DAY-NULM योजना में पंजीकृत महिला स्वंय सहायता समूहों से ही निविदा स्वीकार की . जायगी तथा निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जायगी।

5 DAY-NULM योजना में पंजीकृत महिला स्वंय सहायता समूह यदि वह नियम व शर्तो (संलग्र) के अनुसार पात्र है तो ही उसकी वित्तीय बिड को खोला जायेगा। यदि स्वंय सहायता समूह पात्रता की शर्तो को पूरा नही कर रहा हैं तो उसे बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा ।

6 निविदा L1 महिला स्वंय सहायता समूह को नियम व शर्तो से सम्बन्धित प्रमाणपत्र निविदा खोले जाने की तिथि के 3 दिनों के अन्दर DAY-NULM वखंड के नोडल अधिकारी को जमा करवाने होगे यदि किसी कारणवश L1 स्वंय सहायता समूह रिजेक्ट हो जाता हैं या पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है तो L2 को नियमानुसार कार्य का आवंटन किया जायेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार की दलील स्वीकार नही कि जाएगी।

उपायुक्त NULM
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

<u>नियम व शर्ते/पात्रता</u>

1 महिला स्वयं सहायता समूह DAY-NULM योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए। (निविदाप्रपत्र के साथ DAY-NULM योजना के नोडल अधिकारी से सत्या पित प्रमाण संलग्र करे)

2 महिला स्वंय सहायता समूह मिशन गाइर्ड लाइन के अनुसार सभी पंच सूत्र का 100 प्रतिशत पालन कर रहे हो जैसे:

- स्वंय सहायता समूह के गठन के बाद नियमित रूप से (प्रत्येक महीने) सभी सदस्यो के साथ मासिक बैठक कर रहे हो।
- स्वंय सहायता समूह द्वारा नियमित बैठक को दौरान नियमित बचत करना तथा बचत को 3 कार्य दिवस के अन्दर स्वंय सहायता समूह के बैंक खाते में जमा करना
- स्वंय सहायता समूह के सदस्यों की मांग पर स्वंय सहायता समूह की और से उचित व्याज दर पर ऋण मुहैया कराया गया हो
- स्वंय सहायता समूह के सदस्यो द्वारा की गई लेन <u>देन/ऋण</u> की 100 प्रतिशत वापसी नियम तिथि पर की गई हो।
- स्वंय सहायता समूह के द्वारा रिकॉर्ड का लेख जोखा व रख रखाव सही से किया गया हो जैसे बैठक की तिथि और बैठक में शामिल सदस्यो का विवरण बैंठक के मिनट/कार्यवाही, लेन देन बही और ऋण बहियो का नियमित रूप से लेखा जोखा नियमित रूप से हिसाब किताब कर लेखा वाहियो को सुरक्षित रूप से संयोजित किया गया हो।
- स्वंय सहायता समूह का कोइ एक स्त्रीय सदस्य कम से कम आठवी पास हो तथा मोबाईल एप्प व अन्य कम्प्युटर एप्लीकेशन के बारे में प्रशिक्षित हों।
- स्वंय सहायत समूह किसी राष्टिय कृत बैंक में स्वंय सहायता समूह के नाम से नियमित बचत खाता संचाालित हो और वह स्वंय सहायता समूह किसी बैंक या किसी अन्य संस्था से प्रति बन्धित/ डिफाल्टर न हो।
- स्वंय सहायता समूह किसी अपराधिक गति विधियो में शमिल न हो और न ही उसका कोई सदस्य अपराधिक गतिविधियों में शामिल होना चाहियें।
- जिन स्वंय सहायता समूह को शेडर मशीन का संचालन कार्य का गति विधियो में अनुभव हो उन्हें प्राथिमता दी जाएगी।

- यदि स्वयं सहायता समूह पहले से नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में किसी भी प्रोजेक्ट मे काम कर रहा है तो उसे प्राथमिकता दी जा सकती है।
- महिला सहायता समूह को एक वर्ष तक ग्रीनवेस्ट से कम्पोस्ट खाद बानाने तक के लिये सम्पूर्ण कार्य स्वय सहायता समूहो को करने होगे।
- स्वय सहायता समूह द्वारा मशीन संचालन हेतु लगवाये गये स्वंय सहायता समूहो में श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी, श्रमिको सुरक्षा (दुर्घटना होने की स्थिति) सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वय सहायता समूह की होगी।
- स्वयं सहायता समूह को प्रति माह प्रति मशीन (0.50 हैक्टर से 1.00 हैक्टर से पार्क में) 200 से 400 किलोग्राम खाद तैयार करना आवश्यक है।
- स्वयं सहायता समूह के न्युनतम 4 सदस्यों को प्रतिदिन शेडर मशीनों में संचालन संबंधित सभी कार्य संपादन करने होगे।
- इच्छुक स्वयं सहायता समूह अपना आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज नगर निगम हैरिटेज के नोडल अधिकारी कमरा नं 122 में जमा करा सकते है।

उपायुक्त NULM
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

Annexure-I

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त महोदय
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

विषय : अमृत–2.0 योजना के तहत/पार्क में लगी शेडर मशीन मे संचालन एवं रख रखाव कार्य हेतु आवेदन पत्र।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में ....स्वयं सहायता समूह ....योजना के तहत पंजीकृत है तथा स्वयं सहायता समूह..निविदा के तहत पंजीकृत है तथा स्वयं सहायता समूह निविदा की पात्रता को पूरा करता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

1. स्वंय सहायता समूह...................................DAY-NULM में योजना पंजीकृत है ।(निविदा प्रपत्र के साथ से सत्यापित प्रमाण संलग्न है)।
2. स्वंय सहायता समूह DAY-NULM योजना में निर्धारित पांच सूत्रों का पालन करता है। (से सत्यापित प्रमाण संलग्न है)।
3. स्वंय सहायता समूह के.. सदस्य 8 वीं या अधिक कक्षा में तथा कंम्पयुटर एप्लीकेशन में शिक्षित है(सदस्यों के शेक्षणिक प्रमाण पत्र संलग्न है)।
4. स्वंय सहायता समूह का राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी .... में नियमित बचत खाता संचालित है। (बैंक की पास बुक की कॉपी संलग्न है)।
5. स्वंय सहायता समूह किसी बैंक या किसी अन्य संस्था से प्रतिबन्धित/डिफाल्टर नहीं है। (स्वंय सहायता समूह द्वारा सादे कागज पर सत्यापन संलग्न करें)
6. स्वंय सहायता समूह किसी अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है और न ही उसका कोई सदस्य अपराधिक गतिविधियों में शामिल है (स्वंय सहायता समूह द्वारा सादे कागज पर सत्यापन संलग्न करें)

घोषणाः

उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा सही दी गई है यदि भविष्य में यह जानकारी गलत पायी जाती है तों योजना के तहत कार्य नगर निगम बिना नॉटिस दिये कभी भी निरस्त कर सकता है जिसके लिये हमारे द्वारा कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। यदि हमारे स्वंय सहायता समूह को योजना के तहत कार्य आवंटित किया जाता है तो स्वंय सहायता समूह कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण करेगा। यदि हमारे द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा जाता है तो नगर निगम जयपुर हैरिटेज कानूनी कार्यवाही तथा जुर्माना करने का भी अधिकारी है।

दिनांक .... स्वंय सहायता समूह के प्रधान/सचिव के मोहर हस्ताक्षर